जोरमन / अवाान

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
26.7.21	पत्रावली पेश हुई। सरिश्ते रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील के साथ संलग्न मियाद अधिनियम की धारा.5 के प्रार्थना-पत्र पर अपीलांट अभिभाषक को सुना गया। अपील subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ कैवियट का प्रार्थना-पत्र संलग्न है। अतः कैवियट कर्ता अभिभाषक को नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 29.07.21 को पेश हो।	
29 7/21	अभिभाषकगण ने बार एसोसियेशन के निर्देश पर कार्य स्थगित किया हुआ है। अतः पत्रावली मुलतवी वास्ते बहस दिनांक 3.8.21 को पेश हो। कैवियट कर्ता अभि० उपस्थित आये। नकल अपील एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र दिलाई गई।	[illegible] 29.7.2021
3 8/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। स्थगन बहस को समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन दिनांक 5.8.21 को पेश हो।	
5 8/21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। स्थगन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई पत्रा० वास्ते आदेश स्थगन दिनांक 10.8.21 को पेश हो।	
10.8.21	पत्रावली स्थगन प्रा० पत्र पर आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। वकील अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय की हमको जानकारी नहीं थी। उक्त निर्णय तहत अदालत ने हमारी पीठ पीछे से पारित किया है। अतः अपील इसलिये अपील पेश करने में देरी हुई है।	

— लगातार —

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	अन्दर मियाद शुमार की जावे / उन्होंने आगे तर्क दिये कि हम विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार है / कानूनन रेकार्डेड खातेदार के खिलाफ अंतरिम स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता, परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर हमको अंतरिम स्थगन से पाबन्द कर दिया / अतः निवेदन है कि हमारा स्थगन प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे / जवाब में विद्वान वकील केवियटर का कथन है कि अपील मियाद बाहर है / मियाद बिन्दू पर ही अपील खारिज की जावे / उन्होंने आगे तर्क दिये कि विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी की दादा लाई की भूमि, जो ग्राम जंगल अटेली हरियाणा में स्थित थी, का बेचान कर उससे प्राप्त धन राशि से खरीदी थी / प्रतिवादी सं. 1 ता. 5 आपस में साजबाज है, जो वादी के हकों से वादी को वंचित कराना चाहते है / उक्त भूमि हमारे नाम कराने से इंकार करते हो इसलिये हमने दावा किया / दौराने विचारण वाद प्रतिवादी अपीलांट ने भूमि खुर्द बुर्द कर दी तो हमारे वाद पत्र की मन्शा ही समाप्त हो जायेगी / इसलिये सही तौर पर तहत अदालत ने यथास्थिति का अंतरिम स्थगन जारी किया है / अतः निवेदन है कि स्थगन प्रा.पत्र खारिज किया जावे /

—— लगातार ——

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
	हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी अनेको नजीरों में मियाद बिन्दु पर नरम रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में नरम रूख अपनाया जाकर देरी को माफ किया जाता है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी अनेकों नजीरों में प्रतिपादित किया है कि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि को नुकसान ना पहुंचे, उसका दुर्व्ययन ना हो, पक्षकारो के बीच अनावश्यक विवाद ना हो आदि, इन सभी संभावनाओं से बचने हेतु यथास्थिति के आदेश किये जाने चाहिये। प्रस्तुत प्रकरण में तहत अदालत ने यथास्थिति बनाये रखने हेतु अंतरिम स्थगन आदेश दिया है, जिसमे हम माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही पाते हैं। लिहाजा अपीलांट का स्थगन प्रा. पत्र खारिज किया जाता है। चूंकि तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश जारी कर प्रतिवादी अपीलांट को अपनी आपत्ति पेश	

— लगातार —

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही

करने हेतु नोटिस जारी किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को चाहिये कि वो तहत अदालत में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अंतरिम स्टेज पर अपीलांट को किसी प्रकार की रिलीफ देय नहीं है।

अतः आदेश है कि अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। तहत अदालत को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्त वर्णित प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. एक्ट में उभयपक्ष को सुनकर उक्त प्रा० पत्र का निस्तारण CPC के आदेश 39 नियम 1 क में दी गई समयावधि 01 माह में करें। उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में नियत दिनांक को उपस्थित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो।

10/8/20

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर